प्रीलिम्स फैक्ट्स : 02 नवंबर, 2018

सेहल वर्क ज़ेवड़े

- इथियोपिया की संसद ने 69 वर्षीय सेहल वर्क ज़ेवड़े को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि इथियोपिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की जाने वाली वह प्रथम महिला हैं।
- 25 अक्तूबर, 2018 को फ़ेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली ने सर्वसम्मति से सेहल वर्क को राष्ट्रपति के रूप में चुना। उन्होंने मुलातु तेशोमे का स्थान लिया। सेहल का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा।

पंकज आडवाणी

19 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पंकज आडवाणी ने चीन में आयोजित एशियाई टूर 10 रेड्स स्नूकर 2018 का खिताब जीता। उल्लेखनीय है कि एशियाई टूर 10 रेड्स स्नूकर का खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं।

- इस चैंपियनशिप का आयोजन जीनान, चीन में किया गया था।
- फाइनल मुकाबले में पंकज ने चीन के जु रेती को हराकर यह खिताब जीता।
- वर्ष 2003 में पंकज ने चीन में ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और अब 15 वर्षों के बाद उन्होंने चीन की भूमि पर एक और खिताब जीता है।

CSIR द्वारा विकसित कम प्रदूषण वाले पटाखे

- CSIR के वैज्ञानिकों ने कम प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे पटाखे विकसित किये हैं जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि परंपरागत पटाखों की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत सस्ते हैं।
- इन पटाखों को सेफ वाटर रिलीज़र (SWAS), सेफ मिनिमल एल्युमिनियम(SAFAL) और सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR) नाम दिया गया है।
- CSIR के इस प्रयास का उद्देश्य प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के साथ ही इस व्यापार में लगे लोगों की आजीविका की रक्षा करना है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पटाखा उद्योग की कुल वार्षिक बिक्री लगभग 6,000 करोड़ रुपए है और यह 5 लाख से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
- भारत में पहली बार CSIR-NEERI में उत्सर्जन परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है और उत्सर्जन तथा आवाज़ की निगरानी के लिये परंपरागत और हरित पटाखों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है।

लाभ :

- यह समझौता भारत और मोरक्को के बीच अपराध की जाँच तथा अभियोजन, रोकथाम, अपराध से हुई प्राप्तियों और अपराध के साधनों की ज़ब्ती तथा अपराध के तरीकों से निपटने के लिये व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य अपराध की जाँच और अभियोजन को अधिक कारगर बनाना तथा समाज को आवश्यक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है।
- यह समझौता संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता प्रदान जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उचित नीतिगत निर्णय लिये जा सकेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-facts-2-november-2018